

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर, जिला सलूमबर

प्रार्थी श्री अमित सिंह
 कसम मुकदमा पा.प.

बनाम

विपक्षी श्री इन्दु सिंह
 प्रकरण संख्या 65/2024

कार्यवाही विवरण

15/10/24

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते बईन्तजारे तलबी विपक्षीगण के दिनांक 02/12/24 को पेश हो। *ds*

सोनी अग्र



नि.

कमरा

02/12/24

पत्रा. पेश हुई। वकील उषा उप. विपक्षी सं. 1 से लगायत 5 तक की भोर से वकील श्री शकेश प्रजापत ने कालतनामा पेश किया जो मूलवाद के साथ संगत है। विपक्षी सं. 6, 8, 9, 14, 15, 16 की भोर से वकील श्री वकील मेहता ने जवाब पेश किया जिसे शा. का किया गया एवं जवाब की प्रति वकील उषा को दिखाई गई। विपक्षी सं. 7, 10 लगायत 13 तक की तामील खोपर नष्ट होने से वकील उषा पुनः नोटिस/तलबाना भरकर पेश करें। मि. वास्ते जवाब विपक्षी सं. 1 से 5 तक एवं तलबी विपक्षी सं. 7, 10 लगायत 13 तक के दिनांक 13/01/25 को पेश हो। *ds*

नि.



राम सिंह

13/01/25

पत्रा. पेश हुई। वकील उषा उप. वकील वदी/उषा ने आवेदनिका पर अंकित कर कथन किया कि उषा विपक्षी सं. 11, 12, 13 के खिलाफ कोई दाद नहीं चाहते हैं तथा उषा-का में वर्तित सथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाठान्द किया। वकील विपक्षीगण ने सीधे बहस करते हुए निवेदन किया कि उषा उप. को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाठान्द

Ushar

नि.

ds

वदी
 उषा
 सं. 11, 12, 13

के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाहते हैं

ds

-----कमरा:

किया जावे। तदुपश्चात वकील पार्थी ने श्री वाद वर्तित
शुमी पर उभयपक्ष को पावन्द किये जागे हेतु सखती
जलाई।

पत्रावली पर उभयपक्ष की वदल सुनी गई। वदल
मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज
का मतलोकन किया गया। पार्थी-पत्र में वर्तित
भारतीयता की शुमी पार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त
सहायता की लेकर अविभाजित होना एकट अथा।
अतः मूलवाद पंती बटवाडा के निस्तारण तक
उभयपक्ष को मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथावधि
बनाये रखने हेतु अर्थाई निवेदाज्ञा से पावन्द
किया जाता है।

पत्रावली कैसल शुमार लेकर दारखिल दफ्तर में
निर्णय शुते न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर